

अध्याय-।
विहंगावलोकन

अध्याय-1 विहंगावलोकन

1.1 राज्य की रूपरेखा

हिमाचल प्रदेश राज्य भारत के उत्तरी भाग के हिमालयीन क्षेत्र में स्थित है। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की ऊंचाई में समुद्र तल से 350 से 6,975 मीटर तक की भिन्नता है, जिससे जलवायु आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय से शुष्क शीतोष्ण पर्वतीय में परिवर्तित हो जाती है। हिमाचल प्रदेश भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से 17 वां (55,673 वर्ग कि.मी.) एवं जनसंख्या की दृष्टि से 21 वां (2011 की जनगणना के अनुसार) सबसे बड़ा राज्य है।

हिमाचल प्रदेश एक विशेष श्रेणी राज्य है, तदनुसार विशेष श्रेणी में न आने वाले राज्यों से अलग, जहां भारत सरकार से सहायता 30 प्रतिशत अनुदान एवं 70 प्रतिशत ऋण के अनुपात में प्राप्त होती है, यह भारत सरकार से 90 प्रतिशत अनुदान एवं 10 प्रतिशत ऋण के अनुपात में वित्तीय सहायता प्राप्त करने का पात्र है। अखिल भारतीय औसत की तुलना में राज्य का सामाजिक सूचकांक जैसे साक्षरता दर, शिशु मृत्यु दर, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) की आबादी इत्यादि बेहतर स्थिति में है (परिशिष्ट-1)।

1.1.1 हिमाचल प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद दी गई निश्चित समयावधि में राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण संकेतक होती है, क्योंकि यह किसी समयावधि में राज्य के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन की सीमा को दर्शाती है। विगत पांच वित्तीय वर्षों के दौरान राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति को तालिका-1.1 में दर्शाया गया है।

तालिका-1.1: राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्तियां (चालू मूल्य पर)

वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (2011-12 क्रम) (₹ करोड़ में)	1,53,91,669.01	1,70,90,042.36	1,88,86,956.91	2,03,51,012.89	1,97,45,670.36
विगत वर्ष की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	11.76	11.03	10.51	7.75	-2.97
राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2011-12 क्रम) (₹ करोड़ में)	1,25,633.65	1,38,551.06	1,49,442.00 ^क	1,62,816.00 ^ख	1,56,522.32 ^ग

वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
विगत वर्ष की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	9.97	10.28	7.86	8.95	-3.87

स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश तथा केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय।


क- द्वितीय संशोधित प्राक्कलन, ख- प्रथम संशोधित प्राक्कलन, ग- अग्रिम प्राक्कलन

वर्ष 2020-21 के दौरान हिमाचल प्रदेश की सकल राज्य घरेलू उत्पाद की विकास दर (-)3.87 प्रतिशत रही, जिसका मुख्य कारण 2019-20 की तुलना में प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों के अंतर्गत विकास दर में गिरावट है। 2011-12 से 2020-21 की अवधि में राज्य की सकल राज्य घरेलू उत्पाद (मौजूदा कीमतों पर) की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर 8.89 प्रतिशत थी, जो सभी विशेष श्रेणी राज्यों (लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश सहित) के औसत चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से मामूली रूप से कम थी जोकि 9.76 प्रतिशत था।

1.1.2 सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रीय योगदान

अर्थव्यवस्था की परिवर्तनशील संरचना को समझने के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रीय योगदान के परिवर्तन महत्वपूर्ण होते हैं। आर्थिक गतिविधियों को सामान्यतः प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र में मुख्यतः कृषि गतिविधियों के साथ-साथ वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं खनन जैसी प्राथमिक प्रकृति की अन्य आर्थिक गतिविधियां शामिल हैं। द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण, निर्माण-कार्य व बुनियादी ढांचा, विद्युत, गैस की आपूर्ति, इत्यादि शामिल हैं। तृतीयक क्षेत्र में सेवा सम्बन्धित सभी गतिविधियां शामिल हैं। 2016-17 से 2020-21 के दौरान राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष क्षेत्रीय भागीदारी में परिवर्तन तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रीय विकास चार्ट-1.1 एवं चार्ट-1.2 में दर्शाया गया है:


चार्ट-1.1: सकल राज्य घरेलू उत्पाद से क्षेत्रीय योगदान में परिवर्तन (2016-17 से 2020-21)



आंकड़ों का स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश

जैसाकि उपरोक्त चार्ट-1.1 से स्पष्ट है, 2016-17 व 2020-21 के मध्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीयक क्षेत्र की भागीदारी में वृद्धि, जबकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों की भागीदारी में गिरावट हुई।

चार्ट-1.2: सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रीय विकास



आंकड़ों का स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश

उपरोक्त चार्ट-1.2, 2016-21 के दौरान सभी क्षेत्रों की विकास दर में अंतरवर्षीय विचलन को दर्शाता है। 2020-21 के दौरान विगत वर्ष की तुलना में अर्थव्यवस्था के प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्रों में ऋणात्मक वृद्धि हुई एवं तृतीयक क्षेत्र की विकास दर में तेज गिरावट हुई। इसका बड़ा कारण कोविड-19 महामारी एवं उसके परिणामस्वरूप लॉकडाउन रहा, जिसने श्रमिक एवं कच्चे माल की उपलब्धता को प्रभावित किया, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था के प्रमुख घटक प्रभावित हुए। सभी क्षेत्रों अर्थात् प्राथमिक के अंतर्गत वानिकी एवं लकड़ी (लॉगिंग) (12.61 प्रतिशत), खनन व उत्खनन (7.51 प्रतिशत); द्वितीयक के अंतर्गत विनिर्माण एवं निर्माण (11.13 प्रतिशत); तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत अन्य माध्यमों से परिवहन (27.90 प्रतिशत), पर्यटन व आतिथ्य (4.32 प्रतिशत) में तीव्र गिरावट हुई।

1.2 राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार एवं दृष्टिकोण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के नियमानुसार राज्य के लेखाओं से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं, जो उन्हें राज्य की विधायिका के समक्ष रखता है। 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु हिमाचल प्रदेश का राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के तहत राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा तैयार किया गया है।

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन कोषागारों, कार्यालयों एवं लेखाओं का संचालन करने वाले विभागों द्वारा प्रस्तुत वाउचरों, चालानों एवं प्रारंभिक सहायक लेखाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणियों के आधार पर राज्य के वित्त लेखे व विनियोजन लेखे वार्षिक रूप से बनाते हैं। इन लेखाओं की प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा स्वतंत्र रूप से लेखापरीक्षा की जाती है, जिसे भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

वर्ष 2020-21 के इस राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को राज्य के वित्त लेखों एवं विनियोजन लेखों से कोर डेटा (मुख्य विवरण) लेकर तैयार किया गया है। सम्मिलित अन्य स्रोत निम्न हैं:

- वर्ष 2020-21 का राज्य बजट: अनुमानों की तुलना में राजकोषीय मापदंडों एवं आवंटन संबंधी प्राथमिकताओं का आंकलन करने, बजट कार्यान्वयन की दक्षता एवं प्रासंगिक नियमों व निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए;
- हिमाचल प्रदेश के प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय द्वारा की गई लेखापरीक्षा के परिणाम;
- विभागीय प्राधिकरणों एवं कोषागारों (लेखांकन के साथ-साथ मनेजमेन्ट इन्फार्मेशन सिस्टम) से प्राप्त अन्य विवरण;
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़े तथा राज्य से सम्बन्धित अन्य सांख्यिकीय; तथा
- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

उपरोक्त के अतिरिक्त, इस राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में किए गए विश्लेषण 14वें एवं 15वें वित्तायोग, राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम एवं भारत सरकार के प्रासंगिक दिशा-निर्देशों की संस्तुतियों पर आधारित है।

इस राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का मसौदा राज्य सरकार को टिप्पणी हेतु प्रेषित (9 मार्च 2022) किया गया था; सरकार के उत्तर/टिप्पणियां मार्च 2022 तक प्राप्त नहीं हुए थे।

1.3 प्रतिवेदन की संरचना

राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को निम्नलिखित पांच अध्यायों में निरूपित किया गया है:

अध्याय-I	संक्षिप्त विवरण यह अध्याय प्रतिवेदन का आधार एवं दृष्टिकोण तथा अन्तर्निहित डेटा का वर्णन, सरकारी लेखाओं की संरचना, बजटीय प्रक्रियाओं, प्रमुख संकेतकों का वृहद राजकोषीय विश्लेषण एवं घाटों/अधिशेष सहित राज्य की राजकोषीय प्रास्थिति का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है।
अध्याय-II	राज्य के वित्त यह अध्याय राज्य के वित्त लेखाओं के आधार पर राज्य वित्त का विस्तृत परिप्रेक्ष्य, विगत वर्ष से सम्बन्धित प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में महत्वपूर्ण परिवर्तनों, 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान समग्र प्रवृत्तियों, राज्य की ऋण रूपरेखा तथा प्रमुख लोक लेखा लेनदेनों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।
अध्याय - III	बजट प्रबंधन यह अध्याय राज्य के विनियोजन लेखाओं एवं राज्य सरकार के विनियोजन व आवंटन प्राथमिकताओं पर तथा बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलन की रिपोर्ट पर आधारित है।
अध्याय - IV	लेखाओं तथा वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथाओं (परंपराओं) की गुणवत्ता यह अध्याय राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा प्रदान किए गए लेखाओं की गुणवत्ता तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों व विनियमों की अनुपालन न करने के मुद्दों की व्याख्या करता है।
अध्याय - V	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम यह अध्याय सरकारी कंपनियों, सांविधिक निगमों एवं सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों के नवीनतम लेखाओं से उजागर वित्तीय प्रदर्शन पर चर्चा करता है।

1.4 सरकार की लेखा संरचना एवं बजटीय प्रक्रियाओं का संक्षिप्त विवरण

राज्य सरकार के लेखाओं को तीन भागों में रखा गया है:

भाग-I राज्य की समेकित निधियां (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266(1))

इस निधि में राज्य सरकार को प्राप्त समस्त राजस्व, राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त ऋण (बाजार ऋण, बांड, केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण, वित्तीय संस्थानों में प्राप्त ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां, इत्यादि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय

अग्रिमों एवं राज्य सरकार को ऋणों की चुकौती से प्राप्त समस्त धनराशि सम्मिलित है। इस निधि से धनराशि नियमानुसार एवं किसी उद्देश्यार्थ तथा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त तरीके से ही विनियोजित की जा सकती है। व्यय की कुछ श्रेणियां (अर्थात् संवैधानिक प्राधिकरणों का वेतन, ऋण चुकौती इत्यादि) राज्य के समेकित निधि पर प्रभारित होती है तथा उन पर विधायिका की सहमति आवश्यक नहीं होती। अन्य सभी व्यय (दत्तमत व्यय) पर विधायिका की सहमति आवश्यक है।

भाग-II राज्य की आकस्मिक निधि (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267(2))

यह निधि अग्रदाय प्रकृति की है जिसे राज्य विधायिका ने कानून द्वारा स्थापित किया है तथा इसे राज्यपाल के अधीन रखा गया है ताकि वह व्यय जो विधायिका की अनुज्ञा हेतु लम्बित है ऐसे अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने हेतु दिए अग्रिमों के निपटान हेतु सक्षम बनाया जा सके। इस निधि को राज्य को समेकित निधि से सम्बन्धित कार्यात्मक मुख्य शीर्ष से व्यय को डेबिट करके पुनः प्राप्त किया जाता है।

भाग-III राज्य के लोक लेखे (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266(2))

उपर्युक्त के अतिरिक्त सरकार द्वारा अथवा सरकार की ओर से प्राप्त समस्त सार्वजनिक धन लोक लेखा में जमा होता है, जहां सरकार बैंकर अथवा ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है। लोक लेखा में लघु बचतें व भविष्य निधि, निक्षेप (सब्याज व ब्याज रहित), अग्रिम, आरक्षित निधि (सब्याज व ब्याज रहित), प्रेषण व उचंत शीर्ष (जिसमें दोनों अस्थाई शीर्ष, अंतिम बुकिंग हेतु लम्बित है) जैसे वापस चुकाने वाले भुगतान समाविष्ट होते हैं। सरकार के पास उपलब्ध निवल नकद शेष भी लोक लेखा के अंतर्गत सम्मिलित होता है। लोक लेखा हेतु विधायिका की सहमति आवश्यक नहीं होती।

बजट दस्तावेज

यह संवैधानिक रूप से अपेक्षित है (अनुच्छेद 202) कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संदर्भ में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों व व्यय के विवरण राज्य की विधानसभा के सदनों के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं। "वार्षिक वित्तीय विवरणी" मुख्य बजट दस्तावेज होता है। बजट दस्तावेज राजस्व लेखा पर व्यय को अन्य व्यय से अलग करता है।

राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, संघीय करों/शुल्कों के अंश तथा भारत सरकार से प्राप्त अनुदान सम्मिलित हैं।

राजस्व व्यय में सरकार के वो सभी व्यय सम्मिलित हैं जो भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों के निर्माण में परिणत नहीं होते। यह उन खर्चों से सम्बन्धित है जो सरकारी विभागों के सामान्य-कामकाज एवं विभिन्न सेवाओं, सरकार द्वारा लिए ऋणों पर ब्याज भुगतानों तथा

विभिन्न संस्थानों को दिए गए अनुदान (जिसमें परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान शामिल हो) पर किए गए हैं।

पूँजीगत प्राप्तियों में शामिल हैं:

- **ऋण प्राप्ति:** बाजार ऋण, बांड, वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋण, अर्थोपाय अग्रिमों एवं ऋणों के अंतर्गत निवल लेनदेन, केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम इत्यादि;
- **ऋण-भिन्न प्राप्ति:** विनिवेश से प्राप्त आय, ऋणों तथा अग्रिमों की वसूलियां।


पूँजीगत व्यय में भू-अधिग्रहण, भवन, मशीन, उपकरण, शेयरों में निवेश तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं अन्य पक्षों को सरकार द्वारा दिए ऋण व अग्रिम पर व्यय सम्मिलित हैं।

सरकार में लेखांकन वर्गीकरण प्रणाली - कार्यात्मक एवं आर्थिक दोनों हैं।

	लेनदेन की विशेषता	वर्गीकरण
नियंत्रक- महालेखापरीक्षक द्वारा मानकीकृत मुख्य व लघु शीर्षों की सूची	कार्य- शिक्षा, स्वास्थ्य, इत्यादि/ विभाग	अनुदान के अंतर्गत मुख्य शीर्ष (चार-अंक)
	सह-कार्य	उप-मुख्य शीर्ष (दो-अंक)
	कार्यक्रम	लघु शीर्ष (तीन-अंक)
राज्यों को दी गई ढील	योजना	उप-शीर्ष (दो-अंक)
	उप-योजना	विस्तृत शीर्ष (दो-अंक)
	आर्थिक स्वरूप/ गतिविधि	वस्तु शीर्ष- वेतन, लघु निर्माण कार्य आदि (दो-अंक)

कार्यात्मक वर्गीकरण हमें विभाग, कार्य, योजना या कार्यक्रम तथा व्यय के प्रयोजन की जानकारी देता है। आर्थिक वर्गीकरण इन भुगतानों को राजस्व, पूँजीगत, ऋण इत्यादि में व्यवस्थित करने में सहायता करता है। सरकारी लेखाओं का वर्गीकरण **चार्ट-1.3** में दर्शाया गया है।

चार्ट-1.3: सरकारी लेखाओं की संरचना



स्रोत: बजट नियमावली

बजट प्रक्रियाएं

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 के नियमानुसार, राज्य का राज्यपाल राज्य की अनुमानित प्राप्तियों व व्यय का विवरण "वार्षिक वित्तीय विवरणी" के रूप में राज्य की विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करेगा। अनुच्छेद 203 की शर्तानुसार यह विवरण अनुदान/विनियोजनों की मांग के रूप में राज्य विधायिका को प्रस्तुत किया जाता है तथा इसके अनुमोदनोपरांत विधायिका समेकित निधि में से अपेक्षित धन को विनियोजन हेतु प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 204 के अंतर्गत विनियोजन विधेयक पारित करती है। कुछ राज्य एक से अधिक समेकित बजट भी रखते हैं- ये सह-बजट हो सकते हैं जैसे बाल बजट, कृषि बजट, पिछड़ा वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) बजट, विकलांगता बजट इत्यादि।

राज्य बजट नियमपुस्तिका, बजट निर्माण प्रक्रिया का विवरण देती है तथा राज्य सरकार को उसके व्यय गतिविधियों की निगरानी करने एवं बजटीय अनुमान बनाने में मार्गदर्शन देती है।

राज्य सरकार के बजटीय प्रबंधन की लेखापरीक्षा के परिणाम इस प्रतिवेदन के अध्याय 3 में वर्णित है।

1.4.1 वित्त का आशुचित्र (स्नैपशॉट)

तालिका-1.2, 2020-21 हेतु बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक वित्तीय परिणाम एवं वर्ष 2019-20 के वास्तविक वित्तीय परिणामों का विवरण प्रदान करती है:

तालिका-1.2: बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संघटक	2019-20 (वास्तविक)	2020-21 (बजट अनुमान)	2020-21 (वास्तविक)	अनुमानित बजट से वास्तविक का प्रतिशत	सकल घरेलू उत्पाद से वास्तविक का प्रतिशत
1	स्वयं का कर राजस्व	7,624	9,090	8,083	88.92	5.16
2	कर भिन्न राजस्व	2,501	2,410	2,188	90.79	1.40
3	संघीय करों/शुल्कों का अंश	4,678	6,266	4,754	75.87	3.04
4	सहायता अनुदान और योगदान	15,939	20,673	18,413	89.07	11.76
5	राजस्व प्राप्तियां (1+2+3+4)	30,742	38,439	33,438	86.99	21.36
6	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	21	26	23	88.46	0.02
7	अन्य प्राप्तियां	2	0	3	--	0.002
8	उधार व अन्य देयताएं (क)	5,597	5,460	5,700*	104.40	3.64
9	पूंजीगत प्राप्तियां (6+7+8)	5,620	5,486	5,726*	104.38	3.66
10	कुल प्राप्तियां (5+9)	36,362	43,925	39,164*	89.16	25.02
11	राजस्व व्यय, जिसमें	30,730	39,123	33,535	85.72	21.42
12	ब्याज भुगतान	4,234	4,932	4,472	90.67	2.86
13	पूंजीगत व्यय	5,632	6,614	5,629	85.11	3.60
14	पूंजीगत परिव्यय	5,174	6,255	5,309	84.88	3.39
15	ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरित	458	359	320	89.14	0.20
16	कुल व्यय (11+13)	36,362	45,737	39,164	85.63	25.02
17	राजस्व घाटा (-) राजस्व अधिशेष (+) (5-11)	12	(-)684	(-) 97	14.17	(-)0.06
18	राजकोषीय घाटा (16-(5+6+7))	5,597	7,272	5,700	78.38	3.64
19	प्राथमिक घाटा (18-12)	1,363	2,340	1,228	52.48	0.78

स्रोत: वित्त लेखे व राज्य के बजट दस्तावेज

(क) उधार एवं अन्य देयताएं: निवल लोक ऋण (प्राप्तियां-संवितरण) + निवल आकस्मिक निधि + निवल लोक लेखा (प्राप्तियां - संवितरण) + निवल प्रारंभिक और समापन नकद शेष।

* वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति में गिरावट के बदले भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋण (बैंक-टू-बैंक लोन) के रूप में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ शामिल हैं।

वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति, वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के अंतर्गत राज्य सरकार का राजस्व है। यद्यपि वर्ष 2020-21 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर में अपर्याप्त शेष के कारण राजस्व प्राप्तियों के रूप में ₹ 1,763.53 करोड़ की वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अतिरिक्त राज्य को राज्य सरकार की ऋण प्राप्तियों के अंतर्गत एक के बाद एक ऋण (बैंक-टू-बैंक लोन) ₹ 1,717.00 करोड़ का ऋण भी प्राप्त हुआ, जिस पर राज्य को कोई चुकौती देयता नहीं थी।

1.4.2 सरकार की परिसम्पत्तियों एवं देयताओं का स्नैपशॉट

सरकारी लेखे सरकार की वित्तीय देयताओं एवं किए गए व्यय से निर्मित परिसंपत्तियों का ब्यौरा रखते हैं। देयताओं में मुख्य रूप से आंतरिक ऋण, भारत सरकार से प्राप्त ऋण व अग्रिम, लोक लेखा से मिली प्राप्तियां एवं आरक्षित निधियां आती हैं, परिसंपत्तियों में मुख्य रूप से राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण व अग्रिम एवं पूंजीगत परिव्यय तथा नकद शेष समाविष्ट हैं। राज्य की परिसंपत्तियों एवं देयताओं की सारांक्षित स्थिति तालिका-1.3 में दी गई है।

तालिका-1.3: परिसंपत्तियों तथा देयताओं की सारांक्षित स्थिति

(₹ करोड़ में)

देयताएं				परिसंपत्ति					
	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2021 को	प्रतिशत में वृद्धि		31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2021 को	प्रतिशत में वृद्धि		
समेकित निधि									
क	आंतरिक ऋण	39,527.78	42,918.21	8.58	क	सकल पूंजी	44,120.89	49,430.11	12.03
ख	भारत सरकार से प्राप्त ऋण व अग्रिम	1,043.82	3,261.54*	212.46	ख	ऋण व अग्रिम	7,390.50	7,687.59	4.02
आकस्मिक निधि									
क	आकस्मिक निधि	5.00	5.00	--		--	--	--	
लोक लेखा									
क	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	15,537.13	16,522.64	6.34	क	नकद शेष (चिह्नित निधि में निवेश शामिल)	1,060.18	1,756.24	65.65
ख	निक्षेप	3,380.30	3,461.64	2.41					
ग	आरक्षित निधि	2,722.31	2,717.19	(-) 0.19					
घ	प्रेषण	606.29	541.91	(-) 10.62					
ङ	उचंचत एवं विविध	(-)1,330.44	(-)1,539.83	15.74	ख	प्राप्तियों पर व्यय का संचित आधिक्य	8,920.62	9,014.36	1.05
योग		61,492.19	67,888.30	10.40	योग		61,492.19	67,888.30	10.40

* वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति में गिरावट के बदले भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋणों (बैंक-टू-बैंक लोन) के रूप में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ सम्मिलित है।

1.5 राजकोषीय संतुलन: घाटे एवं कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति

सरकार जब राजस्व के माध्यम से एकत्र पूंजी से अधिक खर्च करती है, तब घाटा उठती है। सरकारी घाटे की जानकारी देने के कई माप हैं - राजकोषीय घाटा (कुल व्यय तथा राजस्व प्राप्तियों व ऋण-रहित पूंजीगत प्राप्तियों के योग का अंतर), राजस्व घाटा (राजस्व व्यय व राजस्व प्राप्तियों का अंतर), प्राथमिक घाटा (राजकोषीय घाटे व ब्याज भुगतान का अंतर) है।

घाटों को उधार लेकर वित्तपोषित किया जाता है जो सरकारी ऋण को निश्चित रूप से बढ़ाता है। घाटे एवं ऋण की अवधारणा का गहन संबंध है। घाटों को एक प्रवाह के रूप में समझा जा सकता है जो ऋण को जोड़ता जाता है। यदि सरकार वर्ष-दर-वर्ष लगातार उधार लेती रहे तो यह ऋण के संचय (संचित ऋण) में परिणत हो जाता है तथा सरकार को ब्याज के रूप में अधिकाधिक भुगतान करना पड़ता है। ये ब्याज भुगतान स्वयं भी ऋण को बढ़ाते हैं।

उधार लेकर सरकार खपत कम करने का बोझ भावी पीढ़ी पर स्थानांतरित करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह वर्तमान में रह रहे लोगों से उधार लेती है परंतु कई/ दशकों बाद करों को बढ़ाकर या खर्च घटा कर के ऋण का भुगतान करने का निर्णय ले सकती है। साथ ही, सरकार का लोगों से उधार लेना निजी क्षेत्रों हेतु उपलब्ध बचत को भी घटाता है। यह पूंजीगत निर्माण एवं विकास को इस हद तक घटा देता है कि ऋण भावी पीढ़ी पर 'बोझ' की तरह कार्य करता है।

यद्यपि यदि सरकारी घाटे उत्पादन बढ़ाने के उसके लक्ष्य की प्राप्ति में सफल होते हैं तो आय अधिक होगी तथा तदनुसार बचत भी अधिक होगी। इस स्थिति में सरकार एवं उद्योग दोनों अधिक उधार ले सकते हैं। साथ ही, यदि सरकार बुनियादी ढांचे में निवेश करती है, तो भावी पीढ़ी बेहतर हो सकती है, बशर्ते कि ऐसे निवेशों पर मिला प्रतिफल ब्याज दर से अधिक हो। उत्पादन में वृद्धि द्वारा वास्तविक ऋण का भुगतान किया जा सकेगा, ऐसे में ऋण को बोझ नहीं माना जाएगा। ऋण में वृद्धि को समग्र रूप से अर्थव्यवस्था (राज्य सकल घरेलू उत्पाद) की वृद्धि के संदर्भ में आंकना होगा।

सरकारी घाटे को करों में वृद्धि करके या व्यय में कटौती करके घटाया जा सकता है। यद्यपि सरकारी व्यय में कटौती पर अधिक जोर दिया गया। कार्यक्रमों की बेहतर योजना व बेहतर प्रशासन के माध्यम से सरकारी गतिविधियों को और अधिक दक्ष बनाकर इसे आंशिक रूप से प्राप्त किया जा सकता है।

1.5.1 मुख्य राजकोषीय मापदण्डों और उपलब्धियों पर राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन के लक्ष्य

राज्य सरकार ने राजस्व घाटा खत्म करके राजकोषीय घाटा एवं समग्र/बकाया ऋण संतोषजनक स्तर तक घटाकर, उन्नत ऋण प्रबंधन स्थापित करके तथा मध्यावधि रूपरेखा की पारदर्शिता में सुधार सुनिश्चित करने के लक्ष्य के साथ हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, अप्रैल 2005 (2011 में संशोधित) में पारित किया। यह अधिनियम राज्य सरकार को घाटा पूरा करने के उपाय एवं ऋण स्तर के सम्बन्ध में पालन किए जाने वाले परिणामात्मक लक्ष्य प्रदान करता है, अर्थात् 2011-12 तक राजस्व घाटे को समाप्त करना एवं उसके बाद राजस्व अधिशेष को बनाए रखना, 2011-12 से राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद का तीन प्रतिशत या उससे कम पर बनाए रखना तथा 2014-15 तक बकाया ऋण को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 40.1 प्रतिशत तक कम करना। घाटे व ऋण स्तरों हेतु संशोधित लक्ष्य निर्धारित करने के लिए हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता थी।

इसके अतिरिक्त, 2020-21 के दौरान वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में संशोधन एवं विशिष्ट राज्य स्तरीय कार्यान्वयन के सुधारों की शर्त पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अधिकतम दो प्रतिशत अतिरिक्त उधार प्रदान करने का निर्णय लिया। राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में संशोधन एवं विशिष्ट राज्य स्तरीय कार्यान्वयन के निम्नवत सुधारों की शर्त पर अतिरिक्त एक प्रतिशत की अनुमति दी गई: (i) एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली का कार्यान्वयन; (ii) व्यवसाय सुगम्यता सुधार (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स); (iii) शहरी स्थानीय निकाय/उपयोगिता सुधार; एवं (iv) विद्युत क्षेत्र में सुधार। प्रत्येक सुधार का भारांक (वेटेज) कुल सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.25 प्रतिशत था, जो कुल मिलाकर एक प्रतिशत था।

यद्यपि राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया गया। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार राज्य को राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत या उससे कम पर बनाए रखने के साथ-साथ राजस्व अधिशेष बनाए रखना था, जबकि 2015-16 के बाद से बकाया ऋण के स्तर के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था।

15वें वित्तायोग एवं हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा अनुशंसित लक्ष्यों के सापेक्ष प्रमुख वित्तीय मापदंडों पर राज्य सरकार का प्रदर्शन तालिका-1.4 में दर्शाया गया है:

तालिका-1.4: 2020-21 के दौरान 15वें वित्त आयोग के प्रावधानों तथा हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम की अनुपालना

राजकोषीय मापदंड	15 वें वित्तायोग में निर्धारित राजकोषीय मापदंड	एफआरबीएम अधिनियम में निर्धारित राजकोषीय मापदंड	वास्तविक	प्राप्तियां (निम्न के अनुसार)	
				15वें वित्त आयोग	एचपी एफआरबीएम अधिनियम
राजस्व घाटा(-) / अधिशेष (+) (₹ करोड़ में)	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.4 % राजस्व अधिशेष	राजस्व अधिशेष बनाए रखा	(-) 97	X	X
राजस्व घाटा(-)/ अधिशेष (+) (सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)	(-) 4.00	तीन या कम	(-) 3.64	✓	X
सकल राज्य घरेलू उत्पाद से कुल बकाया ऋण का अनुपात (प्रतिशत में)	36.00	उपलब्ध नहीं	42.91	X	--

* कुल बकाया ऋण में लोक ऋण व अन्य (लोक लेखा) देयताएं शामिल हैं; एवं वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति में गिरावट के बदले भारत सरकार से एक के बाद एक ऋण (बैंक-टू-बैंक लोन) के रूप में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ शामिल नहीं है, क्योंकि व्यय विभाग, भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि इसे वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिए राज्य सरकार के ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा।

2020-21 के दौरान 15वें वित्तायोग एवं हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित राजस्व अधिशेष को बनाए रखने के लक्ष्य के विपरीत, वास्तविकता में राजस्व घाटा (₹ 97 करोड़) हुआ। सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.64 प्रतिशत वास्तविक राजकोषीय घाटा, 15वें वित्तायोग में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लक्षित चार प्रतिशत के भीतर रहा, परन्तु राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित लक्ष्यों से अधिक रहा। कुल बकाया ऋण/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात (वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति में गिरावट के बदले भारत सरकार से एक के बाद एक ऋण (बैंक-टू-बैंक लोन) के रूप में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ को छोड़ कर गणना की गई है, क्योंकि इसे राज्य सरकार के ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा) 42.91 प्रतिशत रहा, जो 15वें वित्तायोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य (36 प्रतिशत) से काफी ऊपर था।

1.5.2 मध्यावधि राजकोषीय योजना

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियमानुसार राज्य सरकार से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी, बजट के साथ विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करना अपेक्षित है। मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में राज्य सरकार के राजकोषीय लक्ष्य, रणनीतिक प्राथमिकताएं तथा राजकोषीय प्रबंधन हेतु तीन वर्षीय आवर्ती लक्ष्यों को बनाया जाता है।

तालिका- 1.5, 2020-21 के राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणों में बनाए गए अनुमानों तथा वर्ष 2020-21 के वास्तविक आंकड़ों के मध्य विचलन को दर्शाती है।

तालिका-1.5: 2020-21 के मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणों में दिए अनुमानों तथा वास्तविकों का तुलनात्मक अध्ययन

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	राजकोषीय चर	मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणों के अनुसार लक्ष्य/अनुमान	वास्तविक (2020-21)	विचलन (प्रतिशत में)
1	कर-भिन्न	9,090	8,083	(-)11.08
2	कर-भिन्न राजस्व	2,410	2,188	(-) 9.21
3	केन्द्रीय करों का राज्यांश	6,266	4,754	(-)24.13
4	भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	20,673	18,413	(-)10.93
5	राजस्व प्राप्तियां (1+2+3+4)	38,439	33,438	(-)13.01
6	राजस्व व्यय	39,123	33,535	(-)14.28
7	राजस्व घाटा (-)/ अधिशेष (-) (5-6)	(-) 684	(-) 97	85.83
8	राजकोषीय घाटा (-)/ अधिशेष (+)	(-)7,272	(-)5,700	(-)21.62
9	ऋण- सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात (प्रतिशत)	33.62	42.91*	(-) 9.29
10	चालू कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	10.00	(-) 3.87	(-)13.87

स्रोत: वित्त लेखे व बजट दस्तावेज

* वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति में गिरावट के बदले भारत सरकार से एक के बाद एक ऋण (बैंक-टू-बैंक लोन) के रूप में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ को छोड़ कर गणना की गई है।


उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणों में अनुमानित लक्ष्यों एवं वास्तविक आंकड़ों के मध्य अंतर था। वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 38,439 करोड़ की अनुमानित राजस्व प्राप्तियों एवं ₹ 39,123 करोड़ के राजस्व व्यय की तुलना में वास्तविक क्रमशः ₹ 33,438 करोड़ व ₹ 33,535 करोड़ रहा। परिणामस्वरूप, ₹ 684 करोड़ के अनुमानित राजस्व घाटे की तुलना में ₹ 97 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ। मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणों में अनुमानित ₹ 7,272 करोड़ के राजकोषीय घाटे के प्रति ₹ 5,700 करोड़ का राजकोषीय घाटा हुआ।

अनुमानित एवं वास्तविक राजस्व प्राप्तियों के मध्य ₹ 5,001 करोड़ की गिरावट, कर एवं कर-भिन्न राजस्व, केन्द्रीय करों के अंश एवं प्राप्त सहायता-अनुदान में कमी के कारण थी। वास्तविक राजस्व व्यय मुख्य रूप से अनुमानित राशि के प्रति कम प्रतिबद्ध व विकासात्मक व्यय के कारण अनुमानित राजस्व व्यय से ₹ 5,588 करोड़ कम था। राजस्व घाटे/अधिशेष के अनुमानित व वास्तविक आंकड़ों के मध्य का अंतर, बजट अनुमानों में नियोजित की तुलना में, कम राजस्व व्यय करने के कारण था। यह इंगित करता है कि या तो राज्य सरकार ने बजट तैयार

करते समय अनुमानित व्यय का उचित निर्धारण नहीं किया था अथवा राज्य सरकार के पास व्यय करने की क्षमता का अभाव था।

1.5.3 घाटे/ अधिशेष की प्रवृत्ति

2016-17 से 2019-20 की अवधि के दौरान राज्य 15वें वित्तायोग द्वारा निर्धारित राजस्व अधिशेष के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहा। यद्यपि, 2020-21 में राज्य को ₹ 97 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ। 2020-21 में राजकोषीय घाटा पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 5,597 करोड़ से बढ़कर ₹ 5,700 करोड़ हो गया, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.64 प्रतिशत है। प्राथमिक घाटा 2019-20 में ₹ 1,363 करोड़ से घटकर 2020-21 में ₹ 1,228 करोड़ हो गया। 2016-17 से 2020-21 तक की पांच वर्षों की अवधि में इन घाटे की प्रवृत्ति को चार्ट-1.4 में दर्शाया गया है तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष घाटे की प्रवृत्ति चार्ट-1.5 में दी गई है।



राजस्व घाटा

राजस्व घाटा राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय की अधिकता को दर्शाता है। राजस्व अधिशेष उधारों को कम करने में सहायता करता है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 (2011 में संशोधित) के अनुसार राज्य को वित्तीय वर्ष 2011-12 तक राजस्व घाटे को समाप्त करना तथा तदोपरांत राजस्व अधिशेष को बनाए रखना था। विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों में 8.77 प्रतिशत (₹ 2,695.86 करोड़) की वृद्धि हुई एवं राजस्व व्यय में 9.13 प्रतिशत (₹ 2,804.50 करोड़) की वृद्धि हुई, जिससे गत वर्ष के ₹ 12 करोड़ के राजस्व अधिशेष की तुलना में इस वर्ष ₹ 97 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ।

राजकोषीय घाटा

राजकोषीय घाटा सरकार की बढ़ी हुई शुद्ध देयताओं या उसके अतिरिक्त उधारों को परिलक्षित करता है। घाटे को या तो अतिरिक्त लोक ऋण (आन्तरिक अथवा बाह्य) द्वारा अथवा लोक

लेखा से अधिशेष निधियों का उपयोग करके पूरा किया जा सकता है। विगत वर्ष (₹ 5,597 करोड़) की तुलना में 2020-21 के दौरान राजकोषीय घाटे (₹ 5,700 करोड़) में ₹ 103 करोड़ की वृद्धि हुई। राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.64 प्रतिशत था, जो हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित लक्ष्यों से अधिक था।


प्राथमिक घाटा

राजकोषीय घाटा सामान्यतः अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता को परिलक्षित करता है, ऐसे संसाधनों का कुछ भाग राजस्व लेखा पर घाटे वाले राज्यों के सन्दर्भ में, ब्याज भुगतानों के वित्त पोषण हेतु आवश्यक हो सकता है। ब्याज भुगतान, पूर्व दायित्वों के व्यय को दर्शाते हैं तथा वर्तमान व्यय से स्वतंत्र होते हैं। वर्तमान प्रकृति के असंतुलन को देखते हुए इन भुगतानों को पृथक तथा कुल असंतुलनों से घटाया जाना चाहिए। राज्य की वर्तमान वित्तीय स्थिति को प्रतिबिंबित करने के लिए प्राथमिक घाटा एक महत्वपूर्ण मापदण्ड है। प्राथमिक घाटा होने का अर्थ है ब्याज हेतु उपार्जन करने के बावजूद राज्य घाटे में है तथा उसे अपने उधारों का ब्याज चुकाने के लिए भी उधार लेना होगा। 2020-21 के दौरान प्राथमिक घाटा घटकर ₹1,228 करोड़ हो गया, जो 2019-20 में ₹ 1,363 करोड़ था।

राजकोषीय देनदारियां

विगत पांच वित्तीय वर्षों के दौरान राजकोषीय देयताओं एवं इसके घटकों की प्रवृत्ति चार्ट-1.6 में दर्शाई गई है।

चार्ट-1.6: राजकोषीय देयताओं* तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति



* 2020-21 के दौरान, राजकोषीय देयताओं में वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋण (बैंक-टू-बैंक लोन) के रूप में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ शामिल किए गए, यद्यपि इस राशि को सकल राज्य घरेलू उत्पाद से कुल बकाया देयों के अनुपात की गणना हेतु बाहर रखा है।

जैसा कि चार्ट-1.6 से स्पष्ट है कि 2020-21 के दौरान कुल बकाया देयताएं 2016-17 के ₹ 47,244 करोड़ से बढ़कर ₹ 68,882 करोड़ हो गईं। विगत पांच वर्षों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद से कुल बकाया देयताओं के अनुपात में भी वृद्धि हुई तथा 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में निर्धारित राज्य के स्वयं के लक्ष्य से काफी ऊपर रहा।

1.6 लेखापरीक्षा जांच के पश्चात् कुल ऋण तथा घाटे

राज्य सरकार द्वारा राजस्व व्यय को पूंजीगत व्यय, सांविधिक निधियों का सृजन न करने, राजकोषीय प्रचालनों को बजट से बाहर संचालित करने, स्पष्ट देयताओं के आस्थगन, इत्यादि के रूप में गलत वर्गीकृत करने से घाटे एवं ऋण के आंकड़े कभी-कभी गलत प्रस्तुत कर दिए जाते हैं।

1.6.1 राजस्व एवं राजकोषीय घाटा- लेखापरीक्षा अवलोकन

वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्व व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकृत करने तथा राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के अंतर्गत रखे शेष पर ब्याज का भुगतान न करने के कारण राजस्व व राजकोषीय घाटे के आंकड़े प्रभावित हुए। उपरोक्त के प्रभाव तालिका-1.6 में दर्शाए गए हैं।

तालिका-1.6 लेखापरीक्षा द्वारा जांच के पश्चात् राजस्व एवं राजकोषीय घाटा

(₹ करोड़ में)

विवरण	राजस्व अधिशेष पर प्रभाव (अत्योक्ति)	राजकोषीय घाटे पर प्रभाव (न्यूनोक्ति)	पैरा संदर्भ
राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के अंतर्गत रखे शेष पर ब्याज का भुगतान न करना	0.06	0.06	2.5.2.2
पूंजीगत व्यय का राजस्व व्यय के रूप में, और इसके विपरीत क्रम में, गलत वर्गीकरण	2.28	--	3.3.3
कुल	2.34	0.06	

स्रोत: वित्त लेखे

1.6.2 लेखापरीक्षा के बाद- कुल लोक ऋण

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में 2018 में हुए संशोधनों के अनुसार “ऋण” में लोक ऋण (आन्तरिक व बाह्य ऋण), लोक लेखा पर बकाया देयताएं एवं ‘केन्द्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन किसी निगम या अन्य संस्था की वह वित्तीय देयताएं शामिल हैं, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरणी से उस तिथि के अंत तक नकद शेष से घटाकर सरकार को चुकानी पड़ती है या सेवा देनी पड़ती है’।

जैसा कि बजट की व्याख्यात्मक टिप्पणी में कहा गया है, राज्य की ऋण देयताओं में आंतरिक ऋण, केन्द्र सरकार से ऋण, लोक लेखा पर देयताओं तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अन्य ऋण देयताएं शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम

में कुल देयताओं की कोई सुस्पष्ट परिभाषा नहीं है। यद्यपि यह उल्लिखित है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा विशेष प्रयोजन वाहनों एवं अन्य समकक्ष साधनों द्वारा लिए गए वे उधार, जिन्हें चुकाने की देयता राज्य सरकार की होती है, को भी राज्य सरकार के उधार के रूप में ही माना जाएगा।

2020-21 को समाप्त वर्ष हेतु राज्य सरकार के बकाया लोक ऋण में समेकित निधि पर देयताएं, लोक लेखा देयताएं तथा अन्य उधार सम्मिलित हैं, जिन्हें तालिका-1.7 में दर्शाया गया है।

तालिका-1.7: बकाया ऋण/देयताओं के घटक

(₹ करोड़ में)

समेकित निधि पर देयताएं (लोक ऋण)	राशि
आंतरिक ऋण (क)	42,918.22
बाजार ऋण	31,897.16
भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	21.61
नाबार्ड से ऋण	2,969.29
राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	140.06
मुआवजा व अन्य बन्धपत्र (बांड)	2,890.50
अन्य संस्थानों से ऋण	40.74
राष्ट्रीय लघु बचत	4,958.86
केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम (ख)	3,261.54*
आयोजनेत्तर ऋण	2.38
राज्य की आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	3,259.03*
अन्य	0.13
लोक लेखा पर देयताएं (ग)	22,701.99
लघु बचत भविष्य निधि आदि	16,522.64
निक्षेप	3,462.16
आरक्षित निधि	2,717.19
कुल (क + ख + ग)	68,881.75*

* वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति में गिरावट के बदले भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋण (बैंक-टू-बैंक लोन) के रूप में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ को शामिल किया गया है।

राज्य सरकार की ओर से राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विशेष प्रयोजन वाहनों इत्यादि द्वारा लिए उधार जहां मूलधन तथा/अथवा ब्याज को राज्य बजट से चुकाया जाना; राज्य सरकार के निक्षेप कार्यों के निष्पादन हेतु राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विशेष प्रयोजन वाहन इत्यादि द्वारा स्वयं की निधियों का प्रयोग, जिसे राज्य सरकार द्वारा उधारों के माध्यम से वित्तपोषित करना था; तथा राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार की ओर से लिए गए ऋण के मूलधन/ब्याज घटक की राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विशेष प्रयोजन वाहनों आदि को प्रतिपूर्ति न करना जैसे बजट से बाहर संचालित किए गए राजकोषीय प्रचालन का कोई मामला नहीं पाया गया। इस प्रकार, राज्य सरकार के समग्र ऋण पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा।